का॰ ज्ञा॰ सं॰ 12019/1/99-रा॰भा॰ (का॰-2), दिनांक 4.10.1999

विषय:— 'क' तथा 'ख' क्षेत्रों की राज्य सरकारों व व्यक्तियों के साथ हिन्दी में पत्राचार

ऐसा देखने में आया है कि केन्द्र सरकार के मंत्रालय/विभाग और कार्यालय ''क'' क्षेत्र में स्थित राज्य सरकारों के साथ पत्र-व्यवहार अंग्रेजी में कर रहे हैं, जो कि राजभाषा नियम, 1976 के नियम 3 के सर्वथा विपरीत है। इस नियम में यह व्यवस्था है कि केन्द्र सरकार के कार्यालय से ''क'' क्षेत्र में स्थित किसी राज्य या संघ राज्यक्षेत्र को या ऐसे राज्य या संघ राज्यक्षेत्र में किसी कार्यालय को (जो केन्द्र सरकार का कार्यालय न हो) या व्यक्ति को पत्रादि, असाधारण दशाओं को छोड़कर, हिन्दी में ही भेजे जाएंगे और यदि उनमें से किसी को कोई पत्रादि अंग्रेजी में भेजे जाते हैं तो उनके साथ हिन्दी अनुवाद भी भेजा जाएगा। इस व्यवस्था के अनुसार बिहार राज्य के साथ भी सम्पूर्ण पत्राचार हिन्दी में किया जाना अपेक्षित है।

अत: केन्द्र सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध है कि वे बिहार राज्य के साथ-साथ ''क'' क्षेत्र तथा ''ख'' क्षेत्रों की राज्य सरकारों और व्यक्तियों के साथ नियत लक्ष्यों के अनुसार अपना पत्राचार हिन्दी में ही करें।

केन्द्र सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध है कि अपने सभी सम्बद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों, उपक्रमों आदि को भी राजभाषा नियमों के अनुपालन के लिए आवश्यक निदेश जारी करें। इन नियमों में किसी प्रकार के उल्लंघन को गम्भीरता से लिया जाए।